



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 730]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 2016/चैत्र 2, 1938

No. 730]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 2016/CHAITRA 2, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2016

का. आ. 1200(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2405 (अ), तारीख 18-9-2009 द्वारा रारा-3 के 380.000 कि.मी. से 265.000 कि.मी. तक (पिम्पलेगांव धुले सेक्शन) के लिए यांत्रिक वाहनों से दो स्थानों, चंदवाल के पास 356.715 कि.मी. और धुले के पास 268.632 कि.मी. पर रियायतग्राही को शुल्क उद्ग्रहीत एवं प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत किया था।

और यतः, मूल अधिसूचना का.आ. 2405 (अ), तारीख 18.09.2009, में संशोधन का.आ.सं. 1789 (अ), तारीख 01.07.2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसके द्वारा रारा-3 के 380.000 कि.मी. से 265.000 कि.मी. तक (पिम्पलेगांव धुले सेक्शन) तक के खण्ड के लिए शुल्क को परियोजना के सम्पूर्ण खण्ड हेतु धुले के पास संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु रियायतग्राही को प्राधिकृत किया था।

यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा अधिसूचना का.आ.सं. 1789 (अ), तारीख 01.07.2015 को निरस्त करती है।

[फा. सं भाराराप्रा/13013/396/08-09/सीओ/जीसी नासिक/(पिम्पलेगांव धुले)बीओटी]

लीना नन्दन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd March, 2016

S.O. 1200(E).— In exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of section of National Highways/permanent bridge/temporary bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government by notification of the Government of India vide S.O. No. 2405(E) dated 18.09.2009 authorized the Concessionaire to collect and retain fees from the mechanical vehicles for the section from km 380.000 to km 265.000 of NH-3 (Pimpalgaon – Dhule section) at two locations, km 356.715 near Chandwal and km 268.632 near Dhule.

And whereas, an amendment to the original notification S.O. No. 2405(E) dated 18.09.2009 was published vide S.O. No. 1789(E) dated 01.07.2015 authorizing the Concessionaire to collect and retain fees for the section from km 380.000 to km 265.000 of NH-3 (Pimpalgaon – Dhule section) at one location, km 268.632 near Dhule for the total Project stretch.

Now, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of section of National Highways/permanent bridge/temporary bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government hereby rescinds the notification S.O. No. 1789(E) dated 01.07.2015.

[F.No. NHAI/13013/396/08-09/CO/GC Nashik (Pimplegaon-Dhule) BOT]

LEENA NANDAN, Jt. Secy.